

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर
/अधिसूचना/


रायपुर, दिनांक 6.12.2001

क्रमांक 269/427/वि/नि/चार/2001: राज्य शासन अधिसूचना प्रसारण के दिनांक से पेंशनर कल्याण मण्डल का गठन निम्नानुसार करता है :-

- | | | |
|-----|---|--------------|
| (1) | मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन या उनके द्वारा मनोनीत प्रमुख सचिव | अध्यक्ष |
| (2) | प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग | सदस्य |
| (3) | प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग | सदस्य |
| (4) | प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण | सदस्य |
| (5) | श्री संत कुमार गोलानी, अध्यक्ष, पेंशनर्स एसोसिएशन, छ.ग., रायपुर | सदस्य |
| (6) | श्री गंगा प्रसाद बाजपेयी, उपाध्यक्ष, भारत पेंशनर्स समाज, बिलासपुर | सदस्य |
| (7) | श्री आर.एन. पाण्डेय, अध्यक्ष, पेंशनर्स समाज, जगदलपुर | सदस्य |
| (8) | श्री एच.आर. भटपहरे, सेवानिवृत्त जिला मलेरिया अधिकारी, बिलासपुर | सदस्य |
| (9) | श्री जी.आर. बघेल, पेंशनर समाज, जगदलपुर | सदस्य |
| (6) | संचालक कोष, लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़, रायपुर | सदस्य/संयोजक |
2. पेंशनर कल्याण मण्डल का कार्यालय कोष एवं लेखा संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर होगा ।
3. पेंशनर कल्याण मण्डल का कार्य पेंशनरों की समस्याओं पर सतत विचार कर राज्य शासन को सलाह देना, प्रक्रिया संबंधी विसंगतियों एवं कठिनाइयों को शासन की जानकारी में लाना और उनके निवारण के उपाय एवं साधन सुझाना होगा ।

4. मण्डल के मनोनीत सदस्यों को कार्यकाल सामान्यतः दो वर्ष का होगा, जो आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकेगा । किसी सदस्य के त्याग पत्र देने पर अथवा किसी भी कारण से मण्डल का कार्य संपादन करने में असमर्थ / अपात्र होने पर सदस्य की सदस्यता समाप्त हो सकेगी ।
5. समिति के सदस्यों को यात्रा एवं दैनिक भत्तों का भुगतान वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-बी-6-1/84/नि.2/चार, दिनांक 8.10.84 के अनुसार विनियमित होगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.एस. विश्वकर्मा)

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन. वित्त विभाग


पृ.क्र./269-ए/427/नियम/चार/2001

रायपुर, दिनांक 6.12.2001

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर ।
3. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय ।
4. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छ.ग. ।
5. सचिव, छ.ग., लोक सेवा आयोग, रायपुर ।
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/ राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन ।
7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़, बिलासपुर ।
8. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ प्रकोष्ठ, ग्वालियर/रायपुर ।
9. प्रमुख सचिव/सचिव, छ.ग., शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, रायपुर ।
10. प्रमुख सचिव/सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
11. आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन, छ.ग., रायपुर ।
12. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, छ.ग., रायपुर ।
13. अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/ मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर।
14. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर ।
15. अपर मुख्य सचिव, वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर ।
16. अध्यक्ष, शासन से मान्यता प्राप्त समस्त कर्मचारी संगठन/संघ, छ.ग. ।
17. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छ.ग., रायपुर ।
18. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़ ।
19. समस्त कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़ ।
20. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़ ।

21. समस्त सदस्य, पेंशनर कल्याण मण्डल/कार्यकारिणी समिति, छ.ग., रायपुर ।
22. नियंत्रक, शासकीय लेखा सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर, छत्तीसगढ़ ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।



संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय
:: अधिसूचना ::

रायपुर, दिनांक 19/11/2004


क्रमांक 1010 /सी-1736/वि/नि/चार/2004 :: राज्य शासन एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 269/427/वि/नि/चार/2001 दिनांक 6.12.2001 द्वारा गठित पेंशनर कल्याण मंडल के अशासकीय सदस्यों की कार्यावधि समाप्त होने के फलस्वरूप निम्नानुसार मंडल का पुनर्गठन करती है:-

1.	मुख्य सचिव, छ0ग0 शासन या उनके द्वारा मनोनीत प्रमुख सचिव	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव/सचिव, छ.ग. शासन वित्त विभाग	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव/सचिव, छ0ग0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव/सचिव, छ0ग0 शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	सदस्य
5.	डा. रामकृष्ण मिश्रा, अध्यक्ष, पेंशनर्स एसोसिएशन, रायपुर	सदस्य
6.	डा. करीम बख्शा गाजी पेंशनर्स एसोसिएशन, राजनांदगांव	सदस्य
7.	श्री जगत सिंह बैस, प्रान्ताध्यक्ष, छ0ग0 पेंशनर कल्याण संघ, चांपा	सदस्य
8.	श्री सारंगधर झा अध्यक्ष, भारत पेंशनर्स समाज, कांकरे	सदस्य
9.	श्री खिमनलाल सोनी, प्रांतीय महामंत्री, पेंशनर्स एसोसिएशन कवर्धा	सदस्य
10.	संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन छ0ग0 रायपुर	सदस्य/संयोजक

2. पेंशनर कल्याण मण्डल का कार्यालय कोष लेखा एवं पेंशन संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर होगा ।

3. पेंशनर कल्याण मण्डल का कार्य पेंशनरों की समस्याओं पर सतत् विचार कर राज्य शासन को सलाह देना, प्रक्रिया संबंधी विसंगतियों एवं कठिनाईयों को शासन की जानकारी में लाना और उनके निवारण के उपाय एवं साधन सुझाना होगा ।
4. मण्डल के मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः दो वर्ष का होगा, जो आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकेगा । किसी सदस्य के त्याग पत्र देने पर अथवा किसी भी कारण मण्डल का कार्य संपादन करने में असमर्थ/अपात्र होने पर सदस्य की सदस्यता समाप्त हो सकेगी ।
5. समिति के सदस्यों को यात्रा एवं दैनिक भत्तों का भुगतान वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-बी-6-1/84/नि 2/चार, दिनांक 8.10.84 के अनुसार विनियमित होगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(रेणू जी पिल्ले)
विशेष सचिव


छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग
रायपुर, दिनांक 19.11.2004

पृ.क्र. 1011/सी-1736/वि/नि/चार/2004

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर ।
3. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय ।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छ.ग. ।
5. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
6. सचिव, छ.ग., लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग, लोक आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर ।
7. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन ।
8. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़, बिलासपुर ।
9. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर को सूचनार्थ ।
10. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर ।
11. सचिव, वित्त के निज सचिव, मंत्रालय, रायपुर ।
12. आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ रायपुर
13. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, छ0ग0, रायपुर ।
14. आवासीय आयुक्त छत्तीसगढ़ भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली ।

15. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
16. समस्त सचिव,विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय,रायपुर ।
17. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,कोष, लेखा एवं पेंशन, छ.ग.,रायपुर
18. समस्त कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़ ।
19. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़ ।
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ ।
21. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर, छत्तीसगढ़ ।
22. राज्य सूचना अधिकारी,राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (nic) को वित्त विभाग की वेबसाइट <http://cgfinance.nic.in> में अपलोड करने हेतु ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।



(एस.के.चक्रवर्ती)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग


छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
दाऊ कल्याणसिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर

:: शुद्धि पत्र ::

रायपुर, दिनांक 19.05.2006

क्रमांक 189/174/वित्त/नियम/चार/2006:- इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 58/सी-2600/वित्त/नियम/चार/2006, दिनांक 15.02.2006 द्वारा श्री एम.एन.रजक को पेंशनर कल्याण मंडल का सदस्य मनोनित किया गया है। उक्त अधिसूचना में श्री एम.एन.रजक के स्थान पर श्री आर.एस.रजक पढ़ा जावे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार



(एस.के.चक्रवर्ती)

उप सचिव


छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृष्ठां.क्रमांक 190/174/वित्त/नियम/चार/2006,
प्रतिलिपि:-

रायपुर, दिनांक 19.05.2006

1. शासन के समस्त विभाग
2. अध्यक्ष, राजस्व मंडल, बिलासपुर
3. समस्त विभागाध्यक्ष
4. समस्त जिलाध्यक्ष, छत्तीसगढ़
5. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
6. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
7. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
8. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

9. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
10. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर
11. महालेखाकार,छत्तीसगढ़, रायपुर
12. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
13. सचिव वित्त के निज सचिव, मंत्रालय, रायपुर
14. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
15. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
16. राज्य सूचना आयुक्त, मंत्रालय, रायपुर
17. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय,रायपुर
18. संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
19. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
20. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर
21. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
22. समस्त प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़
23. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
24. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
25. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र को वित्त विभाग की बेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।
26. संबंधित सदस्य की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।



(अमिताभ शर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग


छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
दाऊ कल्याणसिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर

:: अधिसूचना ::

रायपुर, दिनांक 20.06.2006

क्रमांक 212/सी 4803/वित्त/नियम/चार/2006:- राज्य शासन द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक सी-114/28/ वित्त/ नियम/चार/2005, दिनांक 24.03.2005 द्वारा पेंशनर कल्याण मंडल की कार्यकारिणी समिति में क्रमांक 4 पर नामांकित सदस्य श्री सारंगधर झा, अध्यक्ष, भारत पेंशनर्स समाज, कांकेर के निधन के फलस्वरूप उक्त समिति में आंशिक संशोधन करते हुए श्री सारंगधर झा के स्थान पर श्री आर.एस.रजक, सेवानिवृत्त, प्रधान पाठक, अध्यक्ष पेंशनर्स समाज, खैरागढ़, जिला राजनांदगांव को पेंशनर कल्याण मंडल की कार्यकारिणी समिति का सदस्य मनोनीत किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार



(एस.के.चक्रवर्ती)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृष्ठां.क्रमांक 213/सी-4803/वित्त/नियम/चार/2006,
प्रतिलिपि:-

रायपुर, दिनांक 20.06.2006

1. शासन के समस्त विभाग
2. अध्यक्ष, राजस्व मंडल, बिलासपुर
3. समस्त विभागाध्यक्ष
4. समस्त जिलाध्यक्ष, छत्तीसगढ़
5. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
6. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय

7. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
8. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
9. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
10. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर
11. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
12. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
13. सचिव वित्त के निज सचिव, मंत्रालय, रायपुर
14. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
15. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
16. राज्य सूचना आयुक्त, मंत्रालय, रायपुर
17. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर
18. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
19. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
20. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर
21. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
22. समस्त प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़
23. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
24. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
25. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र को वित्त विभाग की बेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।
26. संबंधित सदस्य की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।



(अमिताभ शर्मा)

अवर सचिव


छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
दारु कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर
::अधिसूचना::

रायपुर, दिनांक 15.02.2006

क्रमांक 58/सी-2600/वित्त/नियम/चार/2006, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1010/सी-1736 /वि/नि/चार/2004 दिनांक 19.11.2004 द्वारा पेंशनर कल्याण मंडल का गठन किया गया है । जिसके क्रमांक-8 पर नामांकित सदस्य श्री सांरग झा अध्यक्ष, भारत पेंशनर्स समाज, कांकेर का निधन के फलस्वरूप उक्त समिति में आंशिक संशोधन करते हुए श्री सांरग झा के स्थान पर श्री एम.एन.रजक, सेवानिवृत्त प्रधान पाठक अध्यक्ष पेंशनर्स समाज खैरागढ़ जिला राजनांदगांव को समिति का सदस्य नामांकित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(सतीश पाण्डेय)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

रायपुर, दिनांक 15.02.2006


पृ.क्र. 59/सी-2600/वि/नि/चार/2006

प्रतिलिपि-

1. शासन के समस्त विभाग,
2. अध्यक्ष, राजस्व मंडल, बिलासपुर,
3. समस्त विभागाध्यक्ष,
4. समस्त जिलाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ ।

-
1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
 2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर ।
 3. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय मंत्रालय ।
 4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छ.ग. ।
 5. सचिव, छ.ग. लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग, /लोक आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर ।
 6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन ।
 7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर ।

8. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
 9. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर ।
 10. सचिव, वित्त के निज सचिव, मंत्रालय, रायपुर ।
 11. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, छ0ग0, रायपुर ।
 12. आवासीय आयुक्त,छत्तीसगढ़ भवन,चाणक्यपुरी,नई दिल्ली ।
 13. राज्य सूचना आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
 14. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ रायपुर
 15. समस्त सचिव,विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय,रायपुर ।
 16. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
 17. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,कोष, लेखा एवं पेंशन, छ.ग ।
 16. समस्त कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़ ।
 19. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़ ।
 20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ ।
 21. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर, छत्तीसगढ़ ।
 22. राज्य सूचना अधिकारी,राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (nic) को वित्त विभाग की वेबसाइट <http://cgfinance.nic.in> में अपलोड करने हेतु ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित ।



(एस.के.चक्रवर्ती)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

(35) 15

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय-रायपुर

:: अधिसूचना ::


क्रमांक 18 /02/वित्त/नियम/चार/2007,

रायपुर, दिनांक 18 JAN 2007

इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1010/सी-1736 /वि/नि/चार/2004, दिनांक 19.11.2004 (वित्त निर्देश 43/2004) द्वारा गठित पेंशन कल्याण मंडल के अशासकीय सदस्यों की 2 वर्ष की निर्धारित कार्यावधि दिनांक 18.11.2006 को समाप्त हो चुकी है ।


राज्य शासन द्वारा उक्त समिति के अशासकीय सदस्यों के कार्यकाल में दिनांक 19.11.2006 से एक वर्ष की वृद्धि की जाती है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार



(एस.के.चक्रवर्ती) 13/11/07

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग



1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
9. सचिव वित्त के निज सचिव, मंत्रालय, रायपुर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, मंत्रालय, रायपुर
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर
14. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
16. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, रायपुर/बिलासपुर एवं जगदलपुर, छत्तीसगढ़
17. समस्त जिलाधीश, छत्तीसगढ़ ।
18. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
19. समस्त प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़
20. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
21. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
22. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र [NIC] को वित्त विभाग की वेबसाइट <http://cgfinance.nic.in> में अपलोड करने हेतु ।
23. समस्त सदस्य पेंशनर कल्याण मंडल, छत्तीसगढ़ ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


17/1/2007
(अमिताभ शर्मा)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

(78)

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन-रायपुर

:: अधिसूचना ::


कमांक/एफ-1/13/2008/स्था/चार

रायपुर, दिनांक 21.1.2008

इस विभाग की अधिसूचना कमांक 18/02/वित्त/नियम/चार/2007 रायपुर दिनांक 18.1.2007 (वित्त निर्देश-43/2004) द्वारा गठित पेंशन कल्याण मंडल के अशासकीय सदस्यों की 1 वर्ष की वृद्धि की गई थी। उक्त अवधि दिनांक 18.11.2007 को समाप्त हो चुकी है।

राज्य शासन द्वारा उक्त समिति के अशासकीय सदस्यों के कार्यकाल में दिनांक 19.11.2007 से एक वर्ष की वृद्धि की जाती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार,


(केश्रीनिवासुलु)
विशेष सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग


पू0कं0/एफ-1/13/2008/स्था/चार

रायपुर, दिनांक 21.1.2008

प्रतिलिपि :-


1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन रायपुर।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय रायपुर।
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर।
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर।
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री छत्तीसगढ़ रायपुर।।
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर।
8. मुख्य सचिव के स्टॉफ आफिसर मंत्रालय रायपुर।
9. प्रमुख सचिव वित्त के स्टॉफ आफिसर मंत्रालय रायपुर।
10. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय रायपुर।

कमश:....2.



- 11 आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन नई दिल्ली ।
- 12 राज्य सूचना आयुक्त, मंत्रालय रायपुर ।
- 13 समस्त सचिव / विशेष सचिव / संयुक्त सचिव / उप सचिव / अवर सचिव एवं
समस्त शाखा, वित्त विभाग मंत्रालय रायपुर ।
- 14 संचालक कोष, लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़ रायपुर ।
- 15 मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय रायपुर ।
- 16 संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, रायपुर, बिलासपुर एवं
जगदलपुर छत्तीसगढ़ ।
- 17 समस्त जिलाधीश, छत्तीसगढ़ ।
- 18 समस्त कोषालय अधिकारी, जिला / सिटी कोषालय छत्तीसगढ़ ।
- 19 समस्त प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला छत्तीसगढ़ ।
- 20 संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर ।
- 21 समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ ।
- 22 राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) को वित्त विभाग की
वेबसाइट <http://cgfinance.nic.in> में अपलोड करने हेतु ।
- 23 समस्त सदस्य पेंशनर कल्याण मंडल छत्तीसगढ़ ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


विशेष सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

//अधिसूचना//

रायपुर, दिनांक 2/12/2009

कमांक/एफ-1-13/2008/स्था/चार, राज्य शासन अधिसूचना प्रसारण के दिनांक से पेंशन कल्याण मण्डल का पुर्नगठन निम्नानुसार करता है --

1. मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन या उनके द्वारा मनोनीत प्रमुख सचिव अध्यक्ष
2. प्रमुख सचिव / सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग सदस्य
3. प्रमुख सचिव / सचिव, छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग सदस्य
4. प्रमुख सचिव / सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग सदस्य
5. श्री ए.बी.राठौर, अध्यक्ष पेंशनर समाज, छ.ग.राज्य जिला शाखा दुर्ग सदस्य
6. श्री नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष, पेंशन समाज जिला उत्तर बस्तर सदस्य कांकेर
7. श्री नारायण लाल चंद्राकर, अध्यक्ष, छ0ग0पेंशनधारी कल्याण संघ जिला सदस्य शाखा महासंमुद
8. डॉ.जी.आर.गिरी, अध्यक्ष, छ0ग0पेंशनर समाज, बिलासपुर सदस्य
9. श्री सुखराम भगत, अध्यक्ष, छ0ग0राज्य पेंशनर संघ जिला शाखा सदस्य जशपुर
10. आयुक्त/संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़ सदस्य/संयोजक


2. पेंशनर कल्याण मण्डल का कार्यालय कोष लेखा एवं पेंशन संचालनालय छत्तीसगढ़ रायपुर होगा ।

3. पेंशनर कल्याण मण्डल का कार्य पेंशनरों की समस्याओं पर सतत् विचार कर राज्य शासन को सलाह देना, प्रक्रिया संबंधी विसंगतियों एवं कठिनाईयों को शासन की जानकारी में लाना और उनके निवारण के उपाय एवं साधन सुझाना होगा ।

4. मण्डल के मनोनित सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः दो वर्ष का होगा, जो आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकेगा। किसी सदस्य के त्याग पत्र देने पर अथवा किसी भी कारण मण्डल का कार्य संपादन करने में असमर्थ / अपात्र होने पर सदस्य की सदस्यता समाप्त हो सकेगी।

5. समिति के सदस्यों को यात्रा एवं दैनिक भत्तों का भुगतान वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-बी-6-1/84/नि.2/चार, दिनांक 8.10.84 के अनुसार विनियमित होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(एम०के०खरे)


अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग
रायपुर, दिनांक 2 /12/2009

पृष्ठांक०एफ-1-13/2008/स्था/चार

प्रतिलिपि :-

1. समस्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़।
3. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़।
5. आयुक्त, कोष लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़।
6. समस्त कलेक्टर छत्तीसगढ़।
7. रजिस्ट्रार हाईकोर्ट, बिलासपुर छत्तीसगढ़।
8. सचिव, राज्यपाल, राजभवन छत्तीसगढ़।
9. सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा, रायपुर।
10. सचिव, लोक सेवा आयोग, रायपुर।
11. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय छत्तीसगढ़ रायपुर।
12. नियंत्रक, शासकीय मुद्रलेखन सामग्री, राजनांदगांव का भेजकर लेख है कि आगामी आगामी साधारण राजपत्र में प्रकाशन कर 25 प्रति विभाग को उपलब्ध करावे।
13. संबंधित अध्यक्ष / सदस्य कि ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग


संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन

छत्तीसगढ़, रायपुर

कमांक/संकोले/पे.क.मं./का.स./2012/ 51
प्रति,

रायपुर, दिनांक 7 अप्रैल, 2012


प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वित्त एवं योजना विभाग,
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन,
रायपुर



विषय:- पेंशनर कल्याण मंडल के कार्यकाल में वृद्धि के संबंध में
संदर्भ:- छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर का पत्र कमांक 560/519/12/स्था/चार रायपुर, दिनांक 30 मार्च, 2012

वित्त विभाग की अधिसूचना कमांक/एफ-1-13/2008/स्था/चार, रायपुर दिनांक 02.12.2009 द्वारा पेंशनर कल्याण मंडल का गठन दो वर्ष के लिए किया गया है (प्रति संलग्न)। उक्त अधिसूचना के अनुसार मंडल का कार्यकाल दिनांक 01.12.2011 को समाप्त हो गया है। अधिसूचना दिनांक 02.12.2009 की कंडिका 4 के प्रावधानों के अनुसार मंडल के सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः दो वर्ष का होगा, जो आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकेगा। अतः मंडल के वर्तमान मनोनित सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष और बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। उक्त का अनुमोदन करते हुए मंडल के सदस्यों का कार्यकाल और दो वर्ष बढ़ाये जाने हेतु अधिसूचना जारी करने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार


7.4.2012
(अनंद बिहारी)
आयुक्त
कोष लेखा एवं पेंशन

छत्तीसगढ़ शास

वित्त विभाग

::मंत्रालय::


दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर-492002.

//अधिसूचना//

रायपुर, दिनांक 21 मई, 2012.

क्रमांक एफ-1-13/2008/स्था./चार: समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 02.12.2009 द्वारा पेशन कल्याण मण्डल का पुनर्गठन दो वर्ष के लिए किया गया था। राज्य शासन एतद् द्वारा पेशन कल्याण मण्डल एवं मण्डल के मनोनीत अशासकीय सदस्यों के कार्यकाल में दिनांक 02.12.2011 से दो वर्ष की वृद्धि करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
वैश्या आदेशानुसार,


(सी.जे. खत्री) 21/5/12
संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

रायपुर, दिनांक 21 मई, 2012.

पृ.क्र. एफ-1-13/2008/स्था./चार
प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर, मंत्रालय, रायपुर
9. शासन के समस्त विभाग
10. अध्यक्ष, राजस्व मंडल बिलासपुर
11. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़


छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नया रायपुर
--::--

// अधिसूचना //

रायपुर दिनांक 09/12/2013

क्रमांक एफ-1-13/2008/स्था./चार. समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 02.12.2009 द्वारा पेशन कल्याण मण्डल का पुनर्गठन दो वर्ष के लिए किया गया था। तथा अधिसूचना दिनांक 21.06.2012 द्वारा पेशनर कल्याण मण्डल एवं मण्डल के मनोनीत अशासकीय सदस्यों के कार्यकाल में दिनांक 02.12.2011 से दो वर्ष की वृद्धि की गई थी। इसी अनुक्रम में राज्य शासन एतद् द्वारा पेशनर कल्याण मण्डल एवं मण्डल के मनोनीत अशासकीय सदस्यों के कार्यकाल में दिनांक 31.03.2014 तक वृद्धि करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,



(सी.जे. खत्री) 09/12/13
संयुक्त सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वित्त विभाग

पृ.क्र. एफ-1-13/2008/स्था./चार

रायपुर, दिनांक 09/12/2013.

प्रतिलिपि:-


1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर
3. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मान. मंत्रीगण/मान. राज्यमंत्रीगण, नया रायपुर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, नया रायपुर
9. शासन के समस्त विभाग
10. अध्यक्ष, राजस्व मंडल, बिलासपुर
11. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़
12. समस्त विभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़
13. समस्त जिलाध्यक्ष, छत्तीसगढ़
14. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, नया रायपुर
15. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
16. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
17. राज्य सूचना आयुक्त, सूचना का अधिकार आयोग, रायपुर
18. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर



// 2 //

//2//

19. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर
20. भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, मुम्बई / भोपाल / रायपुर
21. उप महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय शाखा / आंचलिक कार्यालय, रायपुर
22. मुख्य लेखाधिकारी, छत्तीसगढ़ मंत्रालय, नया रायपुर
23. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, रायपुर / बिलासपुर / सरगुजा एवं जगदल
- छत्तीसगढ़
24. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला / सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
25. समस्त प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़


09/12/13
संयुक्त सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वित्त विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नया रायपुर

// अधिसूचना //

नया रायपुर, दिनांक 26/05/2014

क्रमांक एफ-1-13/2008/स्था./चार: राज्य शासन अधिसूचना प्रसारण के दिनांक से पेंशन कल्याण मण्डल का पुर्नगठन निम्नानुसार करता है :-

- | | |
|---|--------------|
| 1. मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन या उनके द्वारा मनोनित अपर मुख्य सचिव | अध्यक्ष |
| 2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग | सदस्य |
| 3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग | सदस्य |
| 4. प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग | सदस्य |
| 5. श्री अश्वनी कुमार पाण्डेय, सचिव, पेंशनर समाज, जिला शाखा कार्यालय पारा, दुर्ग | सदस्य |
| 6. श्री मुरली मनोहर शर्मा, जिला अध्यक्ष, पेंशनर एसोसियेशन, धमतरी | सदस्य |
| 7. श्री राजनारायण दुबे, अध्यक्ष, तहसील शाखा लोरमी, महामाया वार्ड लोरमी | सदस्य |
| 8. श्री जी.एस. देवांगन, अध्यक्ष, पेंशनर संघ, कोण्डागॉव | सदस्य |
| 9. श्री एम.डी. मानिकपुरी, पेंशनरधारी कल्याण संघ, बलौदाबाजार | सदस्य |
| 10. आयुक्त/संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ | सदस्य/संयोजक |

2. पेंशनर कल्याण मण्डल का कार्यालय कोष लेखा एवं पेंशन, संचालनालय छत्तीसगढ़ रायपुर होगा।

3. पेंशनर कल्याण मण्डल का कार्य पेंशनरों की समस्याओं पर सतत विचार कर राज्य शासन को सलाह देना, प्रक्रिया संबंधी विसंगतियों एवं कठिनाईयों को शासन की जानकारी में लाना और उनके निवारण के उपाय एवं साधन सुझाना होगा।

4. मण्डल के मनोनित सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः दो वर्ष का होगा, जो आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकेगा। किसी सदस्य के त्याग पत्र देने पर अथवा किसी भी कारण मण्डल का कार्य संपादन करने में असमर्थ/अपात्र होने पर सदस्य की सदस्यता समाप्त हो सकेगी।

5. समिति के सदस्यों को यात्रा एवं दैनिक भत्तों का भुगतान वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ बी-6-1/84/नि.2/चार, दिनांक 08.10.84 के अनुसार विनियमित होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(सी.जे. खत्री) 26/5/14

संयुक्त सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर
// अधिसूचना //

नया रायपुर, दिनांक 29/11/2016

क्रमांक एफ 1-13/2008/स्था./चार:: इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक एफ 1-13/2008/स्था./चार नया रायपुर, दिनांक 26.05.2014 द्वारा पुनर्गठित पेंशनर कल्याण मण्डल के मनोनीत सदस्यों के कार्यकाल में राज्य शासन एतद् द्वारा 02 वर्ष की वृद्धि करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(डॉ. ए.के. सिंह)

उप सचिव


नया रायपुर, दिनांक 29/11/2016

पृ.क्रमांक एफ 1-13/2008/स्था./चार,
प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर
2. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य मंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नया रायपुर
3. शासन कि समस्त विभाग
4. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर
5. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
6. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
7. निज सचिव/निज सहायक, मान.मंत्रीगण/मान. राज्यमंत्रीगण, नया रायपुर
8. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
9. संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नया रायपुर
10. अध्यक्ष, राजस्व मंडल, बिलासपुर
11. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़
12. नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, नया रायपुर की राजपत्र में प्रकाशन हेतु
13. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, छत्तीसगढ़ को वित्त विभाग की वेबसाइट http://cgfinance.nic.in/Miscellaneous/main_Circular.asp पर अपलोड करने हेतु
14. समस्त विभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़
15. समस्त जिलाध्यक्ष, छत्तीसगढ़
16. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
17. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
18. राज्य सूचना आयुक्त, सूचना का अधिकार आयोग, रायपुर
19. संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर
20. भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई/भोपाल/रायपुर
21. उप महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय शाखा/आंचलिक कार्यालय, रायपुर

निरंतर...2...

- 22 मुख्य लेखाधिकारी, छत्तीसगढ़, मंत्रालय, नया रायपुर
 - 23 सभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, रायपुर/विलासपुर/सरगुजा एवं जगदलपुर छत्तीसगढ़
 - 24 समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
 - 25 समस्त प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़
- ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


उप सचिव

दूरभाष क्र. 0771-2510738